



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112021-231010
CG-DL-E-10112021-231010

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4267]
No. 4267]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 2021/कार्तिक 18, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 2021/KARTIKA 18, 1943

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

का.आ. 4632(अ).—ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम भारत के राजपत्र में सां.आ.संख्या 3946(अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 के द्वारा अधिसूचित की गई है। ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के लिए दिशानिर्देश भारत के राजपत्र में सां.आ. संख्या 3947(अ), दिनांक 23 सितंबर, 2021 के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं।

2. चूंकि उक्त अधिसूचित दिशानिर्देशों के खंड 5.2 में, आवेदन के समय प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के विवरण के साथ आवेदन-पत्र के लिए अलग अधिसूचना के बारे में उल्लेख है,

3. चूंकि उक्त अधिसूचित दिशानिर्देशों के खंड 15 में प्रौद्योगिकीयविकास के आधार पर समय-समय पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पाद-सूची की पृथक अधिसूचना का उल्लेख है,

4. अतः, अब (i) ऑटोमोबिल और ऑटो संघटकों हेतु पीएलआई स्कीम के लिए आवेदन-पत्र और (ii) इस स्कीम के तहत उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II के अनुसार अधिसूचित की जाती है।

5. आवेदन आमंत्रित करने की सूचना के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की विंडो सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए खोली जाएगी।

[फा. सं.12(11)/2020-एईआई(21370)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1

ऑटोमोबिल और ऑटो संघटकउद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम(पीएलआई)- आवेदन-पत्र

(सभी खानेअनिवार्य हैं)

1.1 आवेदक कंपनी सिंहावलोकन

आवेदक कंपनी का नाम

स्थापना की तारीख

सीआईएन

पैन

आवेदक श्रेणी

			[ड्रॉप डाउन] 1 वर्तमान ऑटोमोटिव विनिर्माता कंपनी(ईएएमसी) 2. नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी (एनएनआईसी)
--	--	--	---

प्रस्तावितखंड:

 चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता स्कीम संघटक चैंपियन स्कीम दोनों *

* दोनों के लिए आवेदनकर रहे आवेदक को दोनों स्कीमों के लिए न्यूनतम घरेलू निवेश और न्यूनतम निर्धारितबिक्री मूल्य की शर्तों को अलग-अलग पूरा करना होगा। संघटक विनिर्माता कोचैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता(ओईएम) स्कीम के अंतर्गत आवेदन की अनुमति नहीं है।

चैंपियन ओईएमस्कीम के लिए आवेदन कर रही वर्तमान ऑटोमोटिव विनिर्माता कंपनी के लिए :

 दुपहिए और तिपहिए को छोड़कर दुपहिया और तिपहिया दोनों ^

^ दोनों के लिए आवेदनकर रहे आवेदकों को दोनों श्रेणियों में से उच्चतर के लिए न्यूनतम घरेलू निवेश कीशर्त को पूरा करना होगा।

1.2 कंपनी विवरण

<input type="checkbox"/> सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध	<input type="checkbox"/> एनएसई	<input type="checkbox"/> बीएसई	<input type="checkbox"/> अन्य स्टॉक एक्सचेंज
बाह्य साख रेटिंग	रेटिंग एजेंसी	वर्तमान रेटिंग	रेटिंग की तारीख
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
पंजीकृत कार्यालय का पता	नगर	पिन कोड	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

कॉरपोरेट कार्यालय का पता	नगर	पिन कोड
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
वेबसाइट	आयात-निर्यात कोड	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

(सभी खाने अनिवार्य हैं)

2.1 उन अनुषंगी कंपनियों(यदि हों) का ब्यौरा जो आवेदक कंपनी के साथ संयुक्त रूप से प्रोत्साहन का दावा करेगी

आवेदक कंपनी की अनुषंगी कंपनियां भी पीएलआई ऑटो स्कीम के अंतर्गत स्वतंत्ररूप से आवेदन कर सकती हैं। किंतु, यदि आवेदक अपने प्रोत्साहन दावे में किसी अनुषंगी कंपनी (कंपनियों) को शामिल करना चाहते हैं कृपया यहां ऐसी अनुषंगी कंपनी का ब्यौरा दें। साथ ही, ऐसी अनुषंगी कंपनी का संगत ब्यौरा ऐसे सभी मामलों में देना होगा जिनमें अनुषंगी कम्पनी का ब्यौरा इस प्रपत्र में विशेष रूप से मांगा गया हो।

अनुषंगीकंपनीकानाम	पंजीकृतस्थल(पता)	सीआईएन	स्थापनाकी तारीख	आवेदककी%शेयरधारिता

2.2 आवेदक और अनुषंगी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कंपनीकानाम	हस्ताक्षरकर्ताकानाम	पदनाम	पैन	ई-मेल	मोबाइलनं. बर.	पता

प्राधिकार पत्र दस्तावेज़ अपलोड खंड में अपलोड किए जाएंगे

2.3 सांविधिक लेखापरीक्षक ब्यौरा (आवेदन की तारीख के अनुसार)

प्रतिष्ठानकानाम	एफआरएनसंख्या	नियोजितवित्तवर्ष
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.4 आवेदक और अनुषंगी की साख पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक डिफॉल्टर सूची	जान-बूझकर चूक करने वालों की सूची	सेबी से प्रतिबंधित सूची	सीआईबीआईएल रिपोर्ट
हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं	अपलोडकियागया/उपलब्धनहीं

कंपनी सचिव/निदेशक मंडल का प्रमाणपत्र दस्तावेज़ अपलोड खंड में अपलोड किया जाएगा।

2.5 आवेदक और अनुषंगी के वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति

आवेदक कंपनी के वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति

--

व्यवसाय प्रोफाइल/कॉरपोरेट प्रस्तुति दस्तावेज़ अपलोड खंड में अपलोड की जाएगी।

अनुषंगी कंपनी के वर्तमान व्यवसाय की प्रकृति

--

व्यवसाय प्रोफाइल/कॉरपोरेट प्रस्तुति को दस्तावेज़ अपलोड खंड में अपलोड किया जाएगा।

2.6 आवेदक और अनुषंगी के भारत में वर्तमान विनिर्माण केंद्र

कंपनी का नाम	पता	जीएसटीआई एन	विनिर्मित की जा रही ऑटोमोबाइलें	विनिर्मित किए जा रहे ऑटो संघटक	अन्य विनिर्मित उत्पाद

जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र दस्तावेज़ अपलोड खंड में अपलोड किए जाएंगे।

2.7 मुख्य प्रमोटर (न्यूनतम इक्विटी शेयरधारिता 51%)

नाम	राष्ट्रीयता/देश	इक्विटी शेयर%	इक्विटीशेयरों की संख्या	मोबाइल नंबर	ई-मेल	पता	जन्म - ति थि
कुल		0.00%	0				

प्रमाणित शेयरधारिता पद्धति दस्तावेज़ अपलोड खंड में अपलोड की जाएगी।

2.8 निदेशक मंडल

नाम	पदनाम	डीआईए न	ई-मेल	मोबाइल नंबर	पता	जन्म- तिथि

निदेशकों की प्रोफाइल दस्तावेज़ अपलोड खंड में अपलोड किए जाएंगे।

2.9 मुख्य प्रबंध कीय कर्मी (केएमपी)[मुख्यकार्यकारी/अधिकारी,संयंत्रप्रमुख,सीएफओ,सीएसअथवाअन्य]

नाम	पदनाम	ई-मेल	मोबाइल नंबर	पता

2.10 आवेदन-पत्र के खंड-2 के लिए अभ्युक्तियां/टिप्पणियां,यदि हों

अभ्युक्तियां/टिप्पणियां

(सभीखानेअनिवार्यहैं)

3.1 अनुदेश

- i. समूहकंपनी (कंपनियों का अर्थ दो या इससे अधिक उद्यमों से है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से इसस्थिति में हों कि अन्य उद्यमों में छब्बीस प्रतिशत अथवा अधिकमताधिकार रखते हों अथवा जो अन्य उद्यम में निदेशक मंडल के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों को नियुक्त कर सकें (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति परिपत्र, 2020 में यथा परिभाषित)
- ii. आवेदक—वर्तमान ऑटोमोटिव विनिर्माण कंपनी से अपेक्षित है कि वहस्थायी परिसंपत्ति (सकल ब्लॉक) में ऑटोमोटिव और / अथवा ऑटो संघटक विनिर्माण और वैश्विक निवेश से प्राप्त वैश्विक समूह राजस्व का ब्यौरा दे। आवेदक—नईगैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी से अपेक्षित है कि वह 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्कीम दिशानिर्देशों के खंड 4.1 के अनुरूप वैश्विक निवल मूल्य का ब्यौरा दे।
- iii. यदि लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण/वार्षिक रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष आधार पर तैयार किया जा रहा हो अथवा उसमें ऑटोमोटिव और/ अथवा ऑटो संघटक विनिर्माण से प्राप्त राजस्व परिलक्षित न होता हो, तो आवेदक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्व-प्रमाणन आधार पर ऑटोमोटिव और/अथवा ऑटो संघटक विनिर्माण, स्थायी परिसंपत्ति में वैश्विक निवेश(सकलब्लॉक) तथा वैश्विक निवल मूल्य (जैसा भीमामला हो) से प्राप्त वैश्विक समूह राजस्व का विवरण दे। लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण/वार्षिक रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष अथवा वित्तवर्ष (जैसा भी मामला हो) के लिए प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- iv. यदि वार्षिक रिपोर्टें भारतीय रूप एसे इतर किसी मुद्रा में उपलब्ध हो, तो भारतीय रूपए की समतुल्य राशि देनी होगी जिसकी गणना विचाराधीन अवधि के पहले और अंतिम दिन के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित औसत विनिमय दर के आधार पर की जाएगी।
- v. आवेदक द्वारा जारी प्रमाणपत्र में समूह कंपनियों के नाम, आवेदक के साथ उनके संबंध, पंजीकरण स्थान और कंपनी के राजस्व/निवेश/निवल मूल्य का ब्यौरा भी आवेदक को देना होगा।
- vi. आवेदक से अपेक्षित है कि वह ऐसी समूह कंपनी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे जिनके राजस्व/निवेश/निवल मूल्य पर विचार किया जा रहा है जिसमें कंपनी के नाम, आवेदक के साथ संबंध, पंजीकरण संख्या, पंजीकरण का स्थान, ऑटोमोटिव और/अथवा संघटक विनिर्माण से प्राप्त राजस्व, स्थायी परिसंपत्ति में निवेश (निवल ब्लॉक) औरनिवल मूल्य (जैसा भी मामला हो) का उल्लेख हो।
- vii. ऐसी सभी समूह कंपनियों के प्रमाणपत्र में परिलक्षित कुल राजस्व/निवेश/निवल मूल्य वही होना चाहिए जो आवेदक के अर्हता मान दंडों में उल्लिखित हो।

3.2 आधारीक पात्रता मानदंड (स्व-प्रमाणित)

ऐसी समूह कंपनी/कंपनियों के लिए जिनकी ऑटोमोटिव वाहन और संघटक विनिर्माण व्यवसाय में भारत में अथवा वैश्विकस्तर पर मौजूदगी है:

विवरण	अनुप्रयोज्य अवधि	राशि(करोड़रूपएमें)	न्यूनतम अवसीमा
ऑटोमोटिव और/अथवा ऑटो संघटक विनिर्माण से प्राप्त वैश्विक समूह राजस्व (समूह कंपनियों सहित)ऑटोमोटिव वाहन और संघटक विनिर्माण व्यवसाय में भारत में अथवा वैश्विक स्तर पर उपस्थिति वाली मौजूदा कंपनी अथवा इसकी समूह कंपनी (कंपनियां)	वित्तवर्ष2020-21		ऑटो ओईएम - 10,000 करोड़ रूपए ऑटो संघटक-500 करोड़ रूपए
स्थायी परिसंपत्ति में वैश्विक निवेश (सकल ब्लॉक) (समूह कंपनियों सहित)	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार		ऑटो ओईएम -. 3,000 करोड़ रूपए ऑटो संघटक-.150 करोड़ रूपए

नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी अथवा इसकी समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए:

विवरण	अनुप्रयोज्य अवधि	राशि(करोड़रूपएमें)	न्यूनतम अवसीमा
स्थायी परिसंपत्ति में वैश्विक निवेश (समूह कंपनियों सहित)	31/03/2021 की स्थिति के अनुसार		1,000 करोड़ रूपए

आवेदक/धारक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और आवेदक के राजस्व/निवेश/निवल मूल्य संबंधी स्व-प्रमाणन(समूह कंपनियों सहित) दस्तावेज़ अपलोड खंड में अपलोड किए जाएंगे।

आपकी श्रेणी के लिए जो मानदंड लागू न हों, कृपया उनके लिए शून्य लिखें

3.3समूह कंपनियों का विवरण पात्रता के प्रयोजनार्थजिनकी प्रमाणिकताओं पर विचार किया गया है

कंपनी का नाम	स्थान पर पंजीकृत (पता)	पंजीकरण संख्या	आवेदक के साथ संबंध	वित्त वर्ष 2020-21((करोड़ रुपये में)	31/03/2021की स्थिति तक (करोड़ रुपये में)	31/03/2021की स्थिति तक (करोड़ रुपये में)
				ऑटोमोटिव और /अथवा ऑटो घटक विनिर्माण कंपनी से राजस्व (मौजूदा ऑटोमोटिव विनिर्माण कंपनी हेतु)	अचल आस्तियों में निवेश (सकल ब्लॉक) (मौजूदा ऑटोमोटिव विनिर्माण कंपनी हेतु)	निवल मूल्य (नई गैर ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी हेतु)

ऊपर विचारित प्रत्येक कंपनी समूह द्वारा स्वप्रमाणन दस्तावेज अपलोड खण्ड में अपलोड किया जाना है।

3.4आवेदन-पत्र के खण्ड 3 के लिए अभ्यक्तियां/टिप्पणियां, यदि हो

अभ्यक्तियां/टिप्पणियां

(सभी खाने भरना अनिवार्य है)

4.1 आवेदक का वित्तीय विवरण

अनुदेश:

- i. प्रचालनों से प्राप्त कुल राजस्व लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वार्षिक रिपोर्ट के पी एवं एल विवरण में प्रदर्शित राजस्व के अनुरूप होना चाहिए।
- ii. अर्हक उत्पादों से प्राप्त राजस्व का प्रकटीकरण केवल भारत में निर्मित सामानों से प्राप्त राजस्व का ही होना चाहिए।
- iii. अर्हक उत्पाद: उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों (वाहन और घटक) की सूची योजना दिशा निर्देशों के खण्ड 15 के अनुसार है।

(करोड़ रुपये में)

विनिर्माण प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	2018-19	2019-20	2020-21
घरेलू विनिर्माण राजस्व			
1.)एएटी वाहन			
2.)एएटी घटक			
3.)अन्य वाहन			
4.)अन्य घटक			
5.)अन्य माल			
निर्यातविनिर्माण राजस्व			
1.)एएटी वाहन			
2.)एएटी घटक			
3.)अन्य वाहन			
4.)अन्य घटक			
5.)अन्य माल			

2018-19,2019-20&2020-21की वार्षिक रिपोर्टों को दस्तावेज अपलोड खण्ड में अपलोड किया जाना है।

सहायक कंपनियों के इसी प्रकार के वित्तीय विवरणको दस्तावेज अपलोड खण्ड में अपलोड किया जाना है।

4.2 आवेदन प्रपत्र खण्ड 4 के लिए अभ्यक्तियां/टिप्पणियां, यदि कोई हो

अभ्यक्तियां/टिप्पणियां

(सभी खाने भरना अनिवार्य है)

5.1 वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पात्र बिक्री/निवल बिक्री के लिए बेसलाइन ऑफ़े

- अनुदेश: i. आवेदक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पात्र बिक्री मूल्य (ईएसवी) का उल्लेख करते हुए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे
- ii. संगत दस्तावेजों को 'दस्तावेज अपलोड' खण्ड में अपलोड करे
- iii. आवेदक कंपनी के लिए बेसलाइन ईएसवी में आवेदक के साथ संयुक्त रूप से प्रोत्साहन का दावा करने हेतु विचारित भारत में आवेदक कंपनी और किसी सहायक कंपनी के लिए आधार वर्ष में भारत में पात्र उत्पादों की ईएसवी शामिल की जाए
- iv. निवल बिक्री से आशय है क्रेडिट नोट (किसी भी उद्देश्य के लिए लिया गया), विवरणियों, भत्तों, छूट (सम्मिलित किंतु नकद, मात्रा, कारोबार, लक्ष्य अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए सीमित नहीं), लागू करों को घटाकर सकल बिक्री

5.2 एंटी संघटकों की सूची जिसके लिए आवेदक स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं

उत्पाद	हां/नहीं	उत्पाद	हां/नहीं
दुपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L1		ट्रैक्टर बैटरी चालित वाहन -A7	
दुपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L2			
तिपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L5M		सैन्य उपयोग के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन	
तिपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L5N			
क्वाड्रीसाइकिल बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L7M		अन्य बैटरी चालित वाहन	
क्वाड्रीसाइकिल बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L7N			
पीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -M1		हाइड्रोजन ईंधन सेल -PV-M1	
पीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -M2		हाइड्रोजन ईंधन सेल -PV-M2	
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -N1		हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N1	
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -N2		हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N2	
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -N3		हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N3	
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -M3		हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-M3	

5.3 वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चैंपियन ओईएम स्कीम के लिए बेसलाइन पात्र बिक्री मूल्य (ईएसवी)

विवरण	31/03/2020 की स्थिति के अनुसार संस्थापित वार्षिक क्षमता	मात्रा	घरेलू निवल बिक्री	निर्यात निवल बिक्री	कुल निवल बिक्री
एंटी वाहन	(सं.)	(सं.)	(रु. करोड़ में)	(रु. करोड़ में)	(रु. करोड़ में)
आवेदक					
दुपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L1					-
दुपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L2					-
तिपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L5M					-
तिपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L5N					-
क्वाड्रीसाइकिल बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L7M					-
क्वाड्रीसाइकिल बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L7N					-
पीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -M1					-
पीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -M2					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -N1					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -N2					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -N3					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -M3					-
ट्रैक्टर बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -A7					-
सैन्य उपयोग के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन					-
अन्य बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -PV-M1					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -PV-M2					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N1					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N2					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N3					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-M3					-
आवेदक के लिए उप-योग			-	-	-

भारत में अनुषंगी कंपनियां					
दुपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L1					-
दुपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L2					-
तिपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L5M					-
तिपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L5N					-
क्वाड्रीसाइकिल बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L7M					-
क्वाड्रीसाइकिल बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L7N					-
पीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -M1					-
पीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -M2					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - N1					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - N2					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - N3					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -M3					-
ट्रैक्टर बैटरी चालित वाहन -A7					-
मिलिट्री उपयोग के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन					-
अन्य बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -PV-M1					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -PV-M2					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N1					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N2					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N3					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-M3					-
अनुषंगी कंपनियों के लिए उप-योग			-	-	-
कुल			-	-	-

5.4 एएटी संघटकों की सूची जिसके लिए आवेदक स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर रहा है

उत्पाद की पहचान संख्या	उत्पाद का नाम	जोड़ेगाए

5.5 वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संघटक चैंपियन स्कीम के लिए बेसलाइन पात्र विक्री मूल्य (ईएसवी)

विवरण	31/03/2020 तक संस्थापित वार्षिक क्षमता (इकाई सहित)	मात्रा (इकाई सहित)	घरेलू निवल विक्री (₹. करोड़ में)	निर्यात निवल विक्री (₹. करोड़ में)	कुल निवल विक्री (₹. करोड़ में)
एएटी संघटक					
आवेदक					
उत्पाद 1					-
उत्पाद 2					-
उत्पाद 3					-
उत्पाद 4					-
उत्पाद 5					-
आवेदक के लिए उप-योग					
भारत में सहायक कंपनियां					

उत्पाद 1					-
उत्पाद 2					-
उत्पाद 3					-
उत्पाद 4					-
उत्पाद 5					-
अनुपंगी का उप-योग			-	-	-
पात्र उत्पादों के लिए योग					

दस्तावेज़ अपलोड खंड में बेसला इन पात्र बिक्री मूल्य संबंधी स्व-प्रमाणन अपलोड किया जाना है।

5.6 आवेदन पत्र के खंड 5 के लिए अभ्युक्तियां/टिप्पणियां, यदि हों,

अभ्युक्तियां/टिप्पणियां

(सभी खाने भरना अनिवार्य हैं)

6.1 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पात्र बिक्री/ निवल बिक्री हेतु डेटा

अनुदेश: निवल बिक्री से तात्पर्य क्रेडिट नोट्स (किसी भी उद्देश्य के लिए उठाया गया), रिटर्न, भत्ते, छूट (नकद, मात्रा, कारोबार, लक्ष्य या किसी अन्य उद्देश्य तक सीमित नहीं), लागू करों की सकल बिक्री से है।

6.2 वित्त वर्ष 2020-21 के लिए चैंपियन ओईएस स्कीम हेतु पात्र बिक्री मूल्य (ईएसवी)

विवरण	31/03/2020 तक संस्थापित वार्षिक क्षमता (सं.)	मात्रा (सं.)	घरेलू निवल बिक्री (रु. करोड़ में)	निर्यात निवल बिक्री (रु. करोड़ में)	कुल निवल बिक्री (रु. करोड़ में)
आवेदक					
दुपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - L1					-
दुपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - L2					-
तिपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - LSM					-
तिपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - L5N					-
क्वाड्रीसाइकिल बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - L7M					-
क्वाड्रीसाइकिल बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - L7N					-
पीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - M1					-
पीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - M2					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - N1					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - N2					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - N3					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - M3					-
ट्रैक्टर बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन - A7					-
सैन्य उपयोग के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन					-
अन्य बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -PV-M1					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -PV-M2					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N1					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N2					-

हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-N3					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल -CV-M3					-
आवेदक के लिए उप-योग			-	-	-
भारत में अनुषंगी कंपनियां					
दुपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिकवाहन -L1					-
दुपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिकवाहन -L2					-
तिपहिया बैटरी चालित वाहन -L5M					-
तिपहिया बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L5N					-
क्वाट्रीसाइकिल बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन-L7M					-
क्वाट्रीसाइकिल बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -L7N					-
पीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिकवाहन -M1					-
पीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिकवाहन -M2					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन-N1					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -N2					-
सीवी बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन -N3					-
सीवी बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहन-M3					-
ट्रैक्टर बैटरीचालित इलेक्ट्रिक वाहन-A7					-
सैन्य उपयोग वाले बैटरी चालित वाहन					-
बैटरी चालित अन्य वाहन					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल-PV-M1					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल-PV-M2					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल-CV-N1					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल-CV-N2					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल-CV-N3					-
हाइड्रोजन ईंधन सेल-CV-M3					-
आवेदक के लिए उप-योग			-	-	-
कुल			-	-	-

6.3 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए चैंपियन संघटक स्कीम के लिए पात्र विक्री मूल्य

विवरण	31/03/2020 तक संस्थापित वार्षिक क्षमता	मात्रा	घरेलू निवल विक्री	निर्यात निवल विक्री	कुल निवल विक्री
एएटी संघटक आवेदक	(इकाई सहित)	(इकाई सहित)	(रु. करोड़ में)	(रु. करोड़ में)	(रु. करोड़ में)
उत्पाद 1					-
उत्पाद 2					-
उत्पाद 3					-
उत्पाद 4					-
उत्पाद 5					-
भारत में सहायक कंपनियां					
उत्पाद1					-
उत्पाद2					-
उत्पाद3					-
उत्पाद4					-
उत्पाद5					-
कुल			-	-	-
पात्र उत्पादों के लिए कुल					

6.4 आवेदन पत्र के खंड 5 के लिए अभियुक्तियां/टिप्पणियां यदि हों

अभ्युक्तियां/टिप्पणियां

--

(सभी खाने भरना अनिवार्य हैं)

7.1 प्रतिबद्ध संचयी घरेलू निवेश (अनुपंगी कंपनियों सहित)

अनुदेश: i. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दिया जाने वाला प्रतिबद्ध संचयी घरेलू निवेश, 31/03/2021 को या उससे पहले मूल्य शामिल नहीं करना है।
ii. यदि आवेदक वित्त वर्ष 2021-22 में 50 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 में 100 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव कर रहा हो, तो संचयी निवेश वित्त वर्ष 2021-22 में 50 करोड़ रूपए और 2022-23 में 150 करोड़ रूपए होगा।
(करोड़ रूपए में)

प्रतिबद्ध संचयी घरेलू निवेश	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27
चैपियन ओईएम स्कीम						
संघटक चैपियन स्कीम						

दस्तावेज अपलोड खंड में परियोजना रिपोर्ट/व्यवसाय योजना (अनुपंगी कंपनियों के लिए सहित) को अपलोड किया जाना है।

7.2 पूर्वानुमानित पात्र विक्री (सहायक कंपनियों सहित)

अनुदेश: आवेदक को 125 करोड़ रुपये (चैपियन ओईएम स्कीम) की न्यूनतम अवसीमा और पहले वर्ष से निर्धारित विक्री के लिए न्यूनतम 25 करोड़ (संघटक चैपियन स्कीम) रुपये की न्यूनतम अवसीमा से 10% वर्ष दर वर्ष वृद्धि के मानदंड को पूरा करना होगा।

पात्र उत्पाद: भारत में विनिर्मित और स्कीम के खंड 15 के अनुसार उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों (वाहन और संघटकों) की सूची के अंतर्गत शामिल की जाने वाली वस्तुएं।

(रु. करोड़ में)

निर्धारित विक्री मूल्य (ऑटोमोबिल की सौजूदगी)	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27
पात्र उत्पाद - चैपियन ओईएम स्कीम						
घरेलू निवल विक्री						
निर्यात निवल विक्री						
पात्र उत्पाद - संघटक चैपियन स्कीम						
घरेलू निवल विक्री						
निर्यात निवल विक्री						

प्रतिबद्ध विक्री मूल्य (ऑटो-पॉप्युलेट)	वि.व. 2021-22	वि.व. 2022-23	वि.व. 2023-24	वि.व. 2024-25	वि.व. 2025-26	वि.व. 2026-27
पात्र उत्पाद - चैपियन ओईएम स्कीम						
घरेलू निवल विक्री						
निर्यात निवल विक्री						
पात्र उत्पाद - संघटक चैपियन स्कीम						
घरेलू निवल विक्री						
निर्यात निवल विक्री						

7.3 भारत में रोजगार सृजन के लिए प्रस्तावित योजना (अगले 6 वर्ष)

अनुदेश: i. दिनांक 01/04/2021के बाद से संचयी रोजगार दिया जाना है, जिसमें दिनांक 31/03/2021को या उससे पहलेका मूल्य शामिल नहीं है।
ii. यदि आवेदक वित्तवर्ष 2021-22 में 1000 कर्मचारियों और वित्तवर्ष 2022-23 में 1500 कर्मचारियों को रोजगार देने का प्रस्ताव कर रहा है, तो संचयी रोजगार को वित्तवर्ष 2021-22 में 1000 और वित्तवर्ष 2022-23 में 2500 के रूप में दिखाया जाएगा।
(संख्या)

संचयी रोजगार	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27
वेतनशुदा श्रमिक/कर्मचारी						
संविदा पर						
प्रशिक्षु						

7.4 आवेदन के खंड 7 के लिए अभ्यक्तियों / टिप्पणियां, यदि कोई हों

अभ्यक्तियों/टिप्पणियां

(सभी खाने भरना अनिवार्य हैं)

8.1 बैंक विवरण

खाते का नाम	IFCI-PMA-PLI-AUTO
खाता संख्या	5161512781
बैंक का नाम	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
शाखा का कोड	1410
शाखा का आईएफसी कोड	CBIN0281410
शाखा का नाम	नेहरू प्लेस शाखा
शाखा का पता	59, शकुंतला बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

8.2 आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) भुगतान विवरण

भुगतान की तिथि	विशिष्ट संदर्भ संख्या	बैंक का नाम	राशि(रु. में)
			[ड्रॉपडाउन] चैंपियन ओईएम स्कीम के लिए 100,000 रूपये संघटक चैंपियन स्कीम के लिए 25,000 रूपये दोनो स्कीमों के लिए 125,000 रूपये



दस्तावेज़ अपलोड खंड में आवेदन शुल्क भुगतान का प्रमाण अपलोड किया जाना है






(सभी खाने भरना अनिवार्य हैं)

9.1 दस्तावेज अपलोड

अनुदेश: i. कृपया स्व-प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें जब तक कि अन्यथा उल्लेखन किया गया हो।

ii. कृपया इस एक्सेलशीट में कोई दस्तावेज संलग्न करें। दस्तावेजों को पोर्टल pliauto.in पर अपलोड करें।

खंड#	दस्तावेज का नाम	टेम्पलेट	अपलोड किए गए	अभ्युक्ति
1.1	निगमन का प्रमाणपत्र (आरओसीद्वारा जारी)		<input type="checkbox"/>	
1.1	संस्था के अंतर्नियम (आरओसीको प्रस्तुत)		<input type="checkbox"/>	
1.1	पैनकार्ड		<input type="checkbox"/>	
1.2	आयात निर्यात कोड (आईईसी) पंजीकरण प्रमाणपत्र		<input type="checkbox"/>	
2.2	निदेशकमंडल या प्रबंध निदेशक या समकक्ष द्वारा प्राधिकरण पत्र (सहायक कंपनियों सहित)		<input type="checkbox"/>	
2.4	क्रेडिट के इतिहास के लिए आवेदक/प्रबंध निदेशक के कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र (सहायक कंपनियों सहित)		<input type="checkbox"/>	
2.4	कंपनी की सिविल रिपोर्ट (सहायक कंपनियों सहित)		<input type="checkbox"/>	
2.5	आवेदक का व्यवसाय प्रोफाइल/ कॉर्पोरेट प्रस्तुतिकरण (सहायक कंपनियों सहित)		<input type="checkbox"/>	
2.6	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सहायक कंपनियों सहित)		<input type="checkbox"/>	
2.7	शेयरधारितापद्धति (आरओसीके साथहाल में प्रस्तुत की गई और कंपनी के कंपनी सचिवद्वारा प्रमाणित या यदि आवेदक के पास कोई 'कंपनी सचिव' नहीं है तो प्रबंध निदेशक द्वारा) (सहायक कंपनियों सहित)		<input type="checkbox"/>	
2.8	निदेशकों की प्रोफाइल		<input type="checkbox"/>	
3.2	निम्नलिखित पर स्व-प्रमाणन: >ईएएमसी ऑटोमोटिव और/या ऑटोसंघटक निर्माण से वैश्विक समूह राजस्व और अचल संपत्तियों में वैश्विक निवेश (सकल ब्लॉक) >एनएनआईसी - वैश्विक निवल परिसंपत्ति विशेष रूप से प्रमुख/ भारतीय इकाईयों के लिए एयोर- वार विवरण सहित। विचार किए गए प्रमुख उत्पादों का भी उल्लेख किया जाएगा।			
3.3	प्रत्येक समूह कंपनी (ओं) से राजस्व/निवेश/निवल पर स्व-प्रमाणन मूल्य, जिनकी साख पर विचार किया गया		<input type="checkbox"/>	
4.1	2018-19 के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट		<input type="checkbox"/>	
4.1	2019-20 के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट		<input type="checkbox"/>	

4.1	2020-21 के लिए आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट		<input type="checkbox"/>	
4.1	अनुषंगी का वित्तीय ब्यौरा		<input type="checkbox"/>	
4.1	2018-19 के लिए अनुषंगी की वार्षिक रिपोर्ट		<input type="checkbox"/>	
4.1	2019-20 के लिए अनुषंगी की वार्षिक रिपोर्ट		<input type="checkbox"/>	
4.1	2020-21 के लिए अनुषंगी की वार्षिक रिपोर्ट		<input type="checkbox"/>	
5.3 & 5.5	आवेदक अनुषंगी हेतु वित्त वर्ष 2019-20 के लिए स्कीम दिशानिर्देशों के खंड 15 के अनुसार, उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों (वाहन और संघटक) की सूची के अंतर्गत शामिल पात्र उत्पादों का आधारिक पात्रता बिक्री मूल्य दर्शाने वाला स्व-प्रमाणपत्र		<input type="checkbox"/>	
7.1	परियोजना रिपोर्ट/व्यवसाय योजना(अनुषंगी सहित)		<input type="checkbox"/>	
8.2	आवेदन शुल्क भुगतान प्रमाण		<input type="checkbox"/>	
	विनियामक उपाय क. संलग्न प्रारूप के अनुसार परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस, परमिट और तृतीय-पक्ष अनुमोदन ख. मंजूरी लेने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया और समयरेखा		<input type="checkbox"/>	
	लेखा परीक्षा/सत्यापन के लिए सहमति का वचनबंध (अनुषंगी सहित)		<input type="checkbox"/>	
	सत्यनिष्ठा वचनबंध(प्रारूपA)		<input type="checkbox"/>	

10.1 घोषणा

इस आवेदन-पत्र में दिए गए डेटा, दस्तावेज़, घोषणा और अन्य सूचना आवेदक कंपनी के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना पर आधारित हैं और मेरी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं। मैंने दिनांक 23/09/2021 की अधिसूचना सं. सीजी-डीएल-ई-23092021-229899 द्वारा यथाअधिसूचित ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग (पीएलआई-ऑटो) संबंधी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम के उपबंधों तथा बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों सहित संगत दिशानिर्देशों को पढ़ और समझ लिया है और उसी के अनुरूप समस्त सूचना, डेटा, दस्तावेज़ और घोषणा उपलब्ध कराई गई है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इस आवेदन को स्वीकार करने, स्कीम के अंतर्गत पात्रता तथा किसी अन्य संबद्ध मामले में लिया गया कोई भी निर्णय आवेदक कंपनी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

मैंने नियमों और शर्तों को समझ लिया है।

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
पदनाम

अनुबंध-II

उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाले वाहनों की सूची जो ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक संबंधी पीएलआई स्कीम के लिए पात्र हैं

	उन्नत आटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों के नाम	परिभाषा (केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली (सीएमवीआर) में यथापरिभाषित तथासमय-समय पर यथासंशोधित)
1	बैटरी इलैक्ट्रिक दुपहिया	L1
		L2
	बैटरी इलैक्ट्रिक तिपहिया	L5M
		L5N
	बैटरी इलैक्ट्रिक चौपहिया साइकिल	L7M
		L7N
	बैटरी इलैक्ट्रिक चौपहिया (ई-चारपहिया)	M1
		M2
		N1
		N2
		N3
	बैटरी इलैक्ट्रिक चौपहिया (ई-बसें)	M3
बैटरीइलैक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टर	A7	
2	हाइड्रोजन फ्यूल चौपहिया (चौपहिया)	M1
		M2
		N1
		N2
		N3
	हाइड्रोजन फ्यूल सेल चौपहिया (बसें)	M3
नोट:बैटरीइलैक्ट्रिक वाहनों के निष्पादन मानदंड के लिए कृपया फेम इंडिया स्कीम, चरण-II को देखें जो वेबसाइट http://fame2.heavyindustry.gov.in पर उपलब्ध है।		

अनुबंध-II

उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाले घटकों की सूची जो ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक संबंधी पीएलआई स्कीम के लिए पात्र हैं				
सं	अनुप्रयोग	पीएलआई ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के नाम	परिभाषा#	श्रेणी
1	हाइड्रोजन ईंधन सेलचालित वाहन सिस्टम	1. ईंधन सेल	ऑटोमोबिल के लिए हाइड्रोजन ईंधन	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन
		2. ईंधन सेल स्टैक	ऑटोमोबिल के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल स्टैक	
		3. हाइड्रोजन रिसर्कुलेशन ब्लोअर	यह ऑटोमोबिल में ईंधन सेल के भीतर हाइड्रोजन के इष्टतम रिसर्कुलेशनको सुनिश्चित करता है।	
		4. हाइड्रोजन इंजेक्शन सिस्टम	यह ऑटोमोबिल में ईंधन सेल सिस्टम में स्टैक के लिए हाइड्रोजन की इष्टतम मात्रा की पूर्ति करता है।	
		5. हाइड्रोजन प्रेशर सेंसर	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों में दबाव को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑटोमोटिव संघटक।	
		6. हाइड्रोजन तापमान सेंसर	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों में तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑटोमोटिव संघटक।	
		7. सुरक्षा वाल्व (350 बार से ऊपर)	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों में उपयोग किया जाने वाले ऑटोमोटिव संघटक।	
		8. ईंधनसेलसिस्टमकंट्रोलर	ईंधन सेल सिस्टम के संचालन के लिए केंद्रीय नियंत्रण इकाई	
		9. ईंधन सेल कूलिंग सिस्टम	ईंधन सेल सिस्टम में व्यर्थ ऊष्माको स्थानांतरित करने के लिए और इष्टतम कार्यशील तापमान को बनाए रखने के लिए क्रियातंत्र।	
		10. हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए टाइप-3 कार्बन फाइबर सिलेंडर (समय-समय पर यथा संशोधित गैस सिलेंडर नियमावली 2016 के तहत अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा यथाअनुमोदित)	ऑटोमोबिल में उच्च दबाव वाले हाइड्रोजन (350 बार और इससे अधिक) के भंडारण के लिए हल्के वजन वाले सिलेंडर	
		11. हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए टाइप-4 कार्बन फाइबर सिलेंडर (समय-समय पर यथा संशोधित गैस सिलेंडर नियमावली 2016 के तहत अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा यथाअनुमोदित)	ऑटोमोबिल में उच्च दबाव हाइड्रोजन (350 बार और उससे अधिक) के भंडारण के लिए हल्के वजन वाले सिलेंडर।	
		12. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के लिए ईंधन लाइनें	350 बार और उससे अधिक के लिए ईंधन सेल सिस्टम में हाइड्रोजन सर्कुलेशन के लिए पूरी तरह से गैस-टाइट लाइनें/पाइप/फिटिंग।	
		13. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के लिए उच्च दबाव वाले पाइप	350 बार और उससे अधिक के लिए ईंधन सेल सिस्टम में हाइड्रोजन सर्कुलेशन के लिए पूरी तरह से गैस-टाइट लाइनें/पाइप/फिटिंग।	

		14. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के लिए उच्च दबाव फिटिंग	350 बार और उससे अधिक के लिए ईंधन सेल सिस्टम में हाइड्रोजन सर्कुलेशन के लिए पूरी तरह से गैस-टाइट लाइनें/पाइप/फिटिंग।	
		15. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के लिए गोदाम	एआईएस 157/आईएसओ 17260 मानक के अनुसार वाहनों (350 बार और उससे अधिक) में हाइड्रोजन भरने के लिए डिज़ाइन किया गया विशिष्ट प्रवेश द्वार (इनलेट)।	
		16. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के लिए डीसी-डीसी परिवर्तक	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के लिए उपयोग किया जाता है	
		17. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के लिए हाई वोल्टेज कनेक्टर	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के लिए उपयोग किया जाता है	
		18. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के लिए उच्च वोल्टेज हार्नेस	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के लिए उपयोग किया जाता है	
		19. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के लिए विद्युत वितरण इकाई	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों में उच्च वोल्टेज कनेक्शन के वितरण के लिए उपयोग किया जाता है।	
		20. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन के लिए इलेक्ट्रिक कंप्रेसर (वायु और प्रशीतक)	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों में एयर वातानुकूलन अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है।	
2	एक्सईवी - ट्रेक्शन	1. ट्रेक्शन मोटर	इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑटोमोबिल में कर्षण (ट्रेक्शन) अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है।	एक्सईवी
		2. हब मोटर के साथ एकीकृत व्हील रिम	ऑटोमोबिल में ट्रेक्शन अनुप्रयोग के लिए व्हील के साथ एकीकृत इलेक्ट्रिक मोटर्स उपयोग का उपयोग किया जाता है।	
		3. ट्रेक्शन मोटर नियंत्रक (कनवर्टर के साथ इन्वर्टर असेंबली सहित)	ऑटोमोबिल में ट्रेक्शन मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट।	
		4. वाहन नियंत्रण इकाई (वीसीयू)- (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	एक्सईवी संचालन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबली उपयोग किया जाता है।	
3	एक्सईवी - ऊर्जा भंडारण	1. बैटरी प्रबंधन प्रणाली (न्यूनतम प्रोसेसर 32 बिट)	ऑटोमोबिल में बैटरी निष्पादन को नियंत्रित और अनुकूलित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सब-असेंबली का उपयोग किया जाता है।	एक्सईवी
		2. सुपर कैपेसिटर	ऑटोमोबिल में ऊर्जा भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च निष्पादन कैपेसिटर।	
4	एक्सईवी - ट्रांसमिशन	1. विद्युतीकृत वाहन के लिए ट्रांस-एक्सल	यह बिना ट्रेक्शन मोटर के एक्सईवी वाहनों की पावर ट्रेन की सब-असेंबली है।	एक्सईवी
		2. ई-एक्सल	यह बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की पावर ट्रेन की एक उप-असेंबली है।	
		3. ई-डिफरेंशियल असेंबली	यह डिफरेंशियल का एक रूप है जो प्रत्येक ड्राइविंग व्हील के लिए आवश्यक टॉर्क प्रदान करता है और विभिन्न पहियों	

			को गति प्रदान करता है।	
5	एक्सईवी - विद्युत प्रबंधन	1. हाई वोल्टेज कवच	एक्सईवीवाहनों के लिए उपयोग किया जाता है	एक्सईवी
		2. हाई वोल्टेज कनेक्टर	एक्सईवीवाहनों के लिए उपयोग किया जाता है	
		3. चार्जिंग इनलेट कनेक्टर	एक्सईवीवाहनों को चार्ज करने के लिए वाहनों पर लगे कनेक्टर	
		4. विद्युत वितरण इकाई	एक्सईवी वाहनों में हाई वोल्टेज कनेक्शन वितरित करने के लिए उपयोग किया जाता है	
		5. डीसी-डीसी कनवर्टर	एक्सईवीवाहनों के लिए उपयोग किया जाता है	
		6. ऑन-बोर्ड चार्जर/पोर्टेबल चार्जर	वाहन से जुड़े हुए चार्जर का उपयोग एक्सईवी चार्ज करने और प्रत्येक एक्सईवीवाहन के साथ आपूर्ति के लिए किया जाता है	
6	एक्सईवी - सामग्री	1. मोटर्स के लिए रेयरअर्थ मैग्नेट	मोटर्स के लिए रेयरअर्थ मैग्नेट का उपयोग किया जाता है	एक्सईवी
7	एक्सईवी - ब्रेकिंग	1. इलेक्ट्रिक वैक्यूम पंप यूनिट	एक्सईवीमें ब्रेक लगाने वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाने वाला विद्युतचालित वैक्यूम पंप।	एक्सईवी
8	एक्सईवी - एचवीएसी	1. इलेक्ट्रिक कंप्रेसर (वायु और शीतक)	एक्सईवीवाहनों में वातानुकूलनअनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है।	एक्सईवी
9	उन्नतवाहन चालकसहायता प्रणाली(एडीएएस)	1. फॉरवर्ड टकराव चेतावनी (एफसीडब्ल्यू) सिस्टम	संबंधित वाहन के सामनेरास्ते में अन्य किसी वाहन के साथ संभावित टक्कर के बारे में चालक को चेतावनी देने में सक्षम प्रणाली।	सुरक्षा
		2. उन्नत आपात ब्रेकिंग प्रणाली (एईवीएस)	"उन्नत आपात ब्रेकिंग प्रणाली (एईवीएस)" का तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जो स्वचालित रूप से किसी संभावित टक्कर का पता लगा सके और टक्कर से बचने और टक्कर की संभावना को कम करने के उद्देश्य से वाहन की गति को कम करने के लिए वाहन की ब्रेक प्रणाली को सक्रिय कर सके।	
		3. लेन प्रस्थान चेतावनी सिस्टम (एलडब्ल्यूडीएस)	लेन प्रस्थान चेतावनी सिस्टम (एलडब्ल्यूडीएस) एक ऐसी व्यवस्था है जिसे चालक को वाहन के लेन से बाहर जाने की शुरुआत में ही चेतावनी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।	
		4. स्वचालित लेन कीपिंग प्रणाली (एएलकेएस)	"स्वचालित लेन कीपिंग सिस्टम (एएलकेएस)" एक एसी प्रणाली है जो चालक द्वारा सक्रिय की जाती है और जिसकी मदद से चालक अन्य जानकारी की आवश्यकता के बिना विस्तारित अवधि के लिए वाहन के पार्श्विक और उदग्र गति को नियंत्रित करके अपने वाहन को लेन के भीतर रखता है।	
			रडार (रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग) एक	

		5. ऑटोमोबिल के लिए रडार	पहचान प्रणाली है जो वस्तुओं की दूरी (सीमा), कोण या वेग निर्धारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है;	
		6. ऑटोमोबिल्स के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (एलआईडीएआर)	एलआईडीएआर लेजर के साथ किसी वस्तु को लक्षित करने और प्राप्तकर्ता पर पड़ने वाले परावर्ती प्रकाश के लिए समय को मापने की सीमाओं (भिन्न दूरी) का निर्धारण करने की विधि है।	
		7. एडीएस के लिए कैमरे (360 डिग्री.)	इस कैमरे का उपयोग ऑटोमोबिल में किसी चीज़ को 360 डिग्री पर देखने के लिए किया जाता है।	
		8. ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम	यह एक ऐसा सिस्टम है जो वाहन चालक के बगल में और पीछे (ब्लाइंड स्पॉट) स्थित अन्य वाहनों/वस्तुओं का पता लगाती है।	
		9. टक्कर परिहार प्रणाली	यह एक सुरक्षा प्रणाली है जिसे टक्कर को रोकने या ऑटोमोबिल में इसकी गंभीरता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।	
		10. चालक व्यवहार निगरानी प्रणाली	यह प्रणाली वाहन चालक के व्यवहार पर नज़र रखती है और विचलित होने या नींद आने पर उन्हें चेतावनी देती है या सचेत करती है।	
		11. नाइट विजन सिस्टम	यह प्रणाली वाहन चालक की अनुभूति बढ़ाने और अंधेरे में दूर तक देख सकने के लिए तापलेखी (थर्मोग्राफिक) कैमरे का उपयोग करती है।	
10	वी2एक्स (कनेक्टिविटी)	1. टेलीमैटिक्स (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	ऑटोमोबिल के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणालियों के साथ 4जी और उससे ऊपर के वायरलेस नेटवर्क का उपयोग करके डेटा प्रवाह की सुविधा प्रदान करने वाली संचार प्रौद्योगिकी।	संसक्त (कनेक्टेड) वाहन
		2. विशिष्टशार्ट रेंज संचार उपकरण	वायरलेस प्रौद्योगिकी का उपयोग अन्य वाहनों और बुनियादी ढांचे के साथ वाहन के संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है।	
		3. कनेक्टिविटी मॉड्यूल 5G	पांचवीं पीढ़ी के मोबाइल संचार के साथ संगत ऑटोमोबिल में प्रयुक्त मॉड्यूल।	
		4. सेंट्रल गेटवे उपकरण	विभिन्न प्रकार की संचार बसों के माध्यम से डेटा प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए ऑटोमोबिल में उपयोग किए जाने वाले 4जी और उससे ऊपर के नेटवर्क पर काम करने वाले केंद्रीय संचार नोड। यह साइबर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को बचाने में मदद करती है।	
		5. टच स्क्रीन डिस्प्ले यूनिट	सात इंच और उससे बड़े आकार वाली टच स्क्रीन डिस्प्ले यूनिट जिसका उपयोग ऑटोमोबिल में डिस्प्ले और नियंत्रण के लिए किया जाता है।	
11	बीएस वाहनों 6 और उससे आगे के	1. बीएस VI और इससे उन्नतकंप्लायंटडीज़ल इंजन के लिए	डीज़ल इंजन एकजांस्ट से शूट कणों को ट्रैप करने और उन्हें पर्यावरण तक न	उत्सर्जन/पर्यावरण

	वाहनों लिए व्हीकल एक्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट उपकरण	डीज़ल पार्टिकुलेट फिल्टर(डीपीएफ)	पहुंचने देने के लिए प्रयुक्त।	
		2. बीएस VI और उससे उन्नत कंप्लायंट गैसोलीन इंजन के लिए गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर (जीपीएफ) ट्रेप	गैसोलीन इंजनों से कणों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त।	
		3. डीज़ल इंजन में डिनोक्स, बीएस VI और उससे आगे के कंप्लायंट के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती (एससीआर) उपकरण	एससीआर नाइट्रोजन आक्साइडको कम करने के लिए एक्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट उपकरण है।	
		4. बीएस VI यूरिया डोजिंग और आपूर्ति मॉड्यूल और उससे उन्नत डीज़ल इंजन के लिए	ऑटोमोटिव सिस्टम जो एक्जॉस्ट स्ट्रीम में जलीय यूरिया सॉल्यूशन फैलाता है जिससे नाइट्रोजन आक्साइड में कमी आती है।	
		5. बीएस VI और उससे उन्नत डीज़ल इंजन के लिए लीन नाॅक्स ट्रेप (एलएनटी)	ऑटोमोटिव सिस्टम जिसका उपयोग अवशोषण के माध्यम से डीज़ल इंजन में उपयोग किए जाने वाले कम द्रव्यता से नाइट्रोजन के आक्साइड को कम करने के लिए किया जाता है।	
12	गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन (जीडीआई)	1. 200 बार और उससे अधिक की ऑपरेटिंग रेंज के साथ गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन (जीडीआई) के लिए ईंधन पंप 2. गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन (जीडीआई) के लिए इंजेक्टर जिसे 200 बार और उससे ऊपर की ऑपरेटिंग रेंज के साथ ईंधन रेल में असेंबल किया गया है। 3. गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन (जीडीआई) (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट) के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ईसीयू)	इसका उपयोग उच्च दबाव के साथ तेज़ी से ईंधन डालने के लिए किया जाता है ताकि दहन चैंबर जीडीआई इंजन में सीधे ही ईष्टतम मिक्सचर बन जाए। इसे दहन कक्ष जीडीआई इंजन में सीधे ईष्टतम मिश्रण तैयार करने के लिए ईंधन को बहुत तेज़ी से और उच्च दबाव पर इंजेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जीडीआई इंजन में इंजन निष्पादन को अनुकूलित करने के लिए ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सब-असेंबली का उपयोग किया जाता है।	पर्यावरण/उत्सर्जन
13	एयरबैग प्रणाली	1. ऑटोमोबिल में एयरबैग के लिए इनफ्लेटर 2. ऑटोमोबिल में एयरबैग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) 3. ऑटोमोबिल में एयरबैग के लिए संवेदक (सेंसर)	एक उपकरण जो वाहन में टकराव संबंधी सेंसर से सिग्नल को प्राप्त करने पर सक्रिय होता है और एयरबैग को फुलाता है वाहन में एयर बैग प्रणाली को सक्रिय करने के लिए केंद्रीय नियंत्रण इकाई वाहन के एयरबैग सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला संवेदक (सेंसर)।	सुरक्षा
14	ऑन-बोर्ड वाहन डायग्नोस्टिक प्रणाली	बीएस VI और उससे उन्नत इंजनों के लिए ऑन-बोर्ड वाहन डायग्नोस्टिक प्रणाली	ऑन बोर्ड डायगनॉस्टिक(ओबीडी) किसी वाहन में लगी एक कंप्यूटर प्रणाली होती है जो वाहन के निष्पादन को ज्ञात और नियंत्रित करती है और बीएस VI और उससे उन्नत अनुरूप वाहनों में कमियों को दूर करने में सहयोग करती है।	पर्यावरण/उत्सर्जन

15	सुरक्षा के लिए ईसीयू (इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट)	1. इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम (ईएसपी) (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	ऑटोमोबिल में ट्रेक्शनकंट्रोल और स्थिरता के लिए उपयोग किया जाता है।	सुरक्षा
		2. स्टीयरिंग कंट्रोल (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	ऑटोमोबिल में स्टीयरिंग नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है।	
		3. पार्किंग सहायता (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	ऑटोमोबिल में स्वचालित पार्किंग सहायता के लिए उपयोग किया जाता है।	
		4. हिल असिस्ट ईसीयू (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	पहाड़ियों और खड़ी ढलान पर वाहन गति में सहायता के लिए उपयोग किया जाता है।	
		4. हिल असिस्ट ईसीयू (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	ऑटोमोबिल में ब्रेकिंग फोर्स के ईष्टतम उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है।	
16	पावरट्रेन के लिए ईसीयू (इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट)	1. इंजन प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	इंजन का उपयोग निष्पादन को अनुकूलित करने के लिए प्रयुक्त ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सब-असेंबली।	पर्यावरण/उत्सर्जन
17	सुविधा प्रणाली के लिए ईसीयू (इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट)	1. बाँडी कंट्रोल मॉड्यूल (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	बाँडी और चैसिस कार्यों को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सब-असेंबली।	सुविधा
		2. कीलेस समाधान (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	एक्सेस कंट्रोल के लिए प्रयुक्त ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सब-असेंबली।	
		3. इंफोटेनमेंट ईसीयू	इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबली का उपयोग किया जाता है।	
		4. इम्मोबिलाइजर ईसीयू	ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सब-असेंबली का उपयोग वाहन को गतिहीन करने के लिए किया जाता है।	
18	ट्रांसमिशन	1. निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन (सीवीटी)	ऑटोमोबिल में उपयोग किए जाने वाले निरंतर परिवर्तनीय ट्रांसमिशन (सीवीटी)	सुविधा
		2. ज्यूल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी)	ऑटोमोबिल में उपयोग होने वाला ज्यूल क्लच ट्रांसमिशन (डीसीटी)	
		3. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (एटी)	ऑटोमोबिल में प्रयुक्त ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (एटी)	
		4. इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल लॉक	ऑटोमोबिल में ट्रेक्शनअनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त	
19	वैकल्पिक ईंधनप्रणाली-सीएनजी	1. सीएनजी टाइप 3 स्टोरेज सिलेंडर (न्यूनतम 200 बार), (समय-समय पर यथासंशोधित गैस सिलेंडर नियमावली, 2016 के तहत अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा यथाअनुमोदित)	ऑटोमोबिल में उच्च दबाव सीएनजी (200 बार और उससे अधिक) के भंडारण के लिए हल्के वजन वाले सिलेंडर।	उत्सर्जन/पर्यावरण
		2. सीएनजी के लिए दबाव संबंधी नियामक	ऑटोमोबिल में सीएनजी ईंधन टैंक के दबाव को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त।	
		3. सीएनजी के लिए इलेक्ट्रॉनिक	सीएनजी ईंधनचालित इंजन के	

		कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	निष्पादन को अनुकूलित करने के लिए मास्टर कंट्रोल यूनिट।	
20	वैकल्पिक ईंधन प्रणाली - एलएनजी	1. एलएनजी कायोजेनिक सिलेंडर (समय-समय पर यथासंशोधित गैस सिलेंडर नियमावली 2016 के तहत अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा यथा अनुमोदित) 2. एलएनजी के लिए दबाव नियामक 3. एलएनजी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	ऑटोमोबिल में एलएनजी भंडारण के लिए हल्के वजन वाले कायोजेनिक सिलेंडर। ऑटोमोबिल में एलएनजी ईंधन टैंक से बने दबाव को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त। एलएनजी ईंधन वाले इंजन के निष्पादन को अनुकूलित करने के लिए मास्टर कंट्रोल यूनिट।	उत्सर्जन/पर्यावरण
21	वैकल्पिक ईंधन प्रणाली-जैव ईंधन	1. इथेनॉल 85 (ई85) ईंधन तक चला सकने में सक्षम बीएस6 अनुकूलित फ्लेक्स ईंधन इंजन 2. फ्लेक्स ईंधन इंजन के लिए तप्त फ्यूल रेल 3. फ्लेक्स ईंधन इंजन के लिए ऊष्मायक तत्व 4. फ्लेक्स ईंधन इंजन के लिए ऊष्मा नियंत्रक यूनिट 5. फ्लेक्स ईंधन इंजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट)	ऑटोमोबिल में इथेनॉल) 85ई (85से चल सकने में सक्षम बीएस 6फ्लेक्स ईंधन इंजन। फ्लेक्स ईंधन इंजन में ईंधन इंजेक्टरों को ईंधन-आपूर्ति प्रणाली से तप्त ईंधन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त। ईंधन रेल में ईंधन की गर्मी को उत्सर्जित करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे फ्लेक्स ईंधन इंजन में फ्लेक्स ईंधन (ई 85 तक) के संपर्क में उच्च सतह के तापमान पर काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ईंधन के ताप को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इंजन कम तापमान पर चालू हो। यह फ्लेक्स ईंधन इंजन में कोल्ड स्टार्ट फीचर है। फ्लेक्स ईंधन इंजन के निष्पादन को अनुकूलित करने के लिए प्रयुक्त ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सब-असेंबली।	उत्सर्जन/पर्यावरण
22	संवेदक (सेंसर)	1. क्लैश डिटेक्शन संवेदक(सेंसर) 2. एंगल एनकोडर 3. टॉर्क सेंसर 4. इमेज सेंसर 5. बीएस VI और उससे उन्नत इंजन के लिए लैम्ब्डा/ऑक्सीजन सेंसर 6. बीएस VI और उससे उन्नत इंजनों के लिए नाइट्रोजन आक्साइड सेंसर	ऑटोमोबिल में क्लैश प्रभाव की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रैक्शन मोटर; स्टीयरिंग कंट्रोल आदि जैसी ऑटोमोटिव प्रणाली में सटीक कोण माप के लिए प्रयुक्त। ट्रैक्शन मोटर; स्टीयरिंग कंट्रोल आदि जैसे ऑटोमोटिव प्रणाली में सटीक टॉर्क मापन के लिए प्रयुक्त। ऑटोमोबिल में एडीएस अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबिल में ऑक्सीजन स्तर की माप के लिए उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबिल में नाइट्रोजन आक्साइड स्तर की माप के लिए उपयोग किया जाता है।	दूसरों

		7. बीएस VI और उससे उन्नत इंजनों के लिए पीएम सेंसर	ऑटोमोबिल में पीएम स्तर के मापन के लिए उपयोग किया जाता है	
		8. इथेनॉल सेंसर	फ्लेक्स ईंधन वाहनों में उपयोग होने वाला सेंसर।	
23	उन्नत कांच (ग्लेज़िंग) समाधान	1. डार्क ग्रीन यूवी कट ग्लास (डीजीजी), 3.2 मिमी तक	ऑटोमोबिल का साइड सेफ्टी ग्लास जिसमें न्यूनतम 71 प्रतिशत के इन्फ्रारेड कट और न्यूनतम 81 प्रतिशत के पराबैंगनी कट जैसे उन्नत फीचर हों।	उत्सर्जन/पर्यावरण
		2. आईआर कट विंडशील्ड (पीवीवी + ग्लास)	ऑटोमोबिल का विंड स्क्रीन सेफ्टी ग्लास जिसमें न्यूनतम 77 प्रतिशत के इन्फ्रारेड कट और >99 प्रतिशत के पराबैंगनी कट जैसे उन्नत फीचर हों।	
24	कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन (सीआरडीआई)	1. ऑपरेटिंग 1800 बार और उससे अधिक के साथ सीआरडीआई के लिए पंप	1800 बार से अधिक वाली कनेक्टेड रेल में ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त।	उत्सर्जन/पर्यावरण
		2. कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन (सीआरडीआई) प्रणाली (प्रोसेसर न्यूनतम 32 बिट) के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ईसीयू)	सीआरडीआई इंजन निष्पादन को अनुकूलित करने के लिए ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सब-असेंबली प्रयुक्त।	
<p># भारत में आपूर्ति शृंखला का न के बराबर/अपरिपक्व होना इस स्कीम के लिए किसी भी एप्टी उत्पाद हेतु बुनियादी अर्हता है। एप्टी उत्पादों पर विस्तृत परिभाषा या कोई तकनीकी स्पष्टीकरण प्रदान/स्पष्ट भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा।</p>				

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2021

S.O. 4632(E).—Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component Industry has been notified in the Gazette of India vide S.O. no. 3946(E) dated 23rd September, 2021. The Guidelines for the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto component Industry has been notified in the Gazette of India vide S.O. no. 3947(E) dated 23rd September, 2021.

2. Whereas clause 5.2 of the said notified Guidelines mentions about separate notification for Application Form along with details of all necessary supporting documents, to be submitted at the time of application.

3. Whereas clause 15 of the said notified Guidelines mentions about separate notification of the list of Advanced Automotive Technology Products by MHI, to be issued from time to time, depending upon technological developments.

4. Now, therefore, (i) Application Form for PLI Scheme for Automobile and Auto Components and (ii) List of Advanced Automotive Technology Products under this scheme are hereby notified as per Annexure – I and Annexure – II respectively.

5. The window for receiving applications through the Notice Inviting Applications will be open for a period of 60 days from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No.12(11)/2020-AEI (21370)]

AMIT MEHTA, Jt Secy.

Annexure-I

**Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Automobile and Auto Components Industry
(PLI-Auto) - Application Form**

(All fields are mandatory)

1.1 Applicant Company Overview

Applicant Company Name

Date of Incorporation

CIN

PAN

Applicant Category

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	[Drop down] 1. Existing Automotive Manufacturing Company (EAMC) 2. New Non-Automotive Investor Company (NNIC)
----------------------	----------------------	----------------------	---

Proposed Segment:

Champion OEM Scheme Component Champion Scheme Both *

* Applicants applying for both, will have to meet Minimum Domestic Investment and Minimum Determined Sales Value conditions for both schemes separately. Component manufacturer is not permitted to apply for Champion OEM scheme.

For Existing Automotive Manufacturing Company applying for Champion OEM scheme:

Except 2W & 3W 2W & 3W Both ^

^ Applicants applying for both, will have to meet Minimum Domestic Investment for higher of the two categories.

1.2 Company Details

Public Listed NSE BSE Other Stock Exchanges

External Credit Rating

Rating Agency

Current Rating

Date of Rating

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Registered Office Address

City

PIN Code

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Corporate Office Address

City

PIN Code

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Website

Import Export Code (IEC)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

(All fields are mandatory)

2.1 Details of subsidiary company(ies), if any, which shall claim incentive jointly with the applicant company

Subsidiary companies of the Applicant company are free to apply separately under the PLI Auto scheme. However, if the Applicant wishes to include any subsidiary company(ies) in its incentive claim then please add details of such subsidiary company(ies) here. Further, relevant details of such subsidiary company(ies) to be provided in all such instances where details of subsidiary company (ies) have been sought specifically in this form.

Subsidiary Company Name	Registered at (Address)	CIN	Date of Incorporation	% shareholding of Applicant

2.2 Authorised Signatory of Applicant & Subsidiary(ies)

Company Name	Signatory Name	Designation	PAN	Email	Mobile No.	Address

Authorization Letter(s) to be uploaded in Document Uploads section

2.3 Statutory Auditor Details (as on date of Application)

Name of the Firm	FRN Number	Financial Year Employed

2.4 Credit History of Applicant & Subsidiary(ies)

RBI Defaulter List	Wilful Defaulter List	SEBI Debarred List	CIBIL Report
Yes/ No	Yes/ No	Yes/ No	Uploaded/ Not available

Certificate from Company Secretary/ Board of Directors to be uploaded in Document Uploads section

2.5 Nature of Current Business of Applicant & Subsidiary(ies)**Nature of Current Business of Applicant Company**

Business Profile/ Corporate Presentation to be uploaded in Document Uploads section

Nature of Current Business of Subsidiary Company(ies)

Business Profile/ Corporate Presentation to be uploaded in Document Uploads section

2.6 Current Manufacturing Facilities in India of Applicant & Subsidiary(ies)

Company Name	Address	GSTIN	Automobiles being manufactured	Auto-components being	Other manufactured

				manufactured	products

GST Registration Certificates to be uploaded in Document Uploads section

2.7 Key Promoters (not less than 51% equity shareholding)

Name	Nationality/ Country	Eq. Shares%	No. of Equity Shares	Mobile No.	Email	Address	Date of Birth
Total		0.00%	0				

Certified Shareholding Pattern to be uploaded in Document Uploads section

2.8 Board of Directors

Name	Designation	DIN	Email	Mobile No.	Address	Date of Birth

Profile of Directors to be uploaded in Document Uploads section

2.9 Key Managerial Personnel (KMPs) [CEO, Plant Head, CFO, CS or others]

Name	Designation	Email	Mobile No.	Address

2.10 Remarks/ Comments, if any, for Section 2 of the Application Form

Remarks/ Comments

--

(All fields are mandatory)

3.1 Instructions

- i. Group Company(ies) shall mean two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to exercise twenty-six percent or more of voting rights in the other enterprise; or appoint more than fifty percent of members of Board of Directors in the other enterprise. (As defined in the FDI Policy Circular of 2020)
- ii. The applicant-Existing Automotive Manufacturing Company is required to provide the Global group revenue from automotive and/or auto component manufacturing and Global Investment in fixed assets (gross block). The applicant-New Non-Automotive Investor Company is required to provide the Global net worth, in line with clause 4.1 of the scheme guidelines for the year ending on March 31, 2021.
- iii. In case the audited financial statements/ annual reports are being prepared on calendar year basis or does not reflect the revenue from automotive and/or auto component manufacturing, the applicant should provide for Global group revenue from automotive and/or auto component manufacturing, Global Investment in fixed assets (gross block) and Global net worth, as the case may be, on self certification basis for the year ending on March 31, 2021. The audited financial statements/ annual reports may be submitted for calendar year or financial year, as may be available.
- iv. In case annual reports are available in any currency other than INR, the Indian rupee equivalent amount may be submitted applying average of exchange rate notified by the RBI as on the 1st day and last day of the reporting period.
- v. The certificate issued by the applicant should mention names of group companies, relationship with the applicant, location of registration and revenue/ investment/ net worth details of the company considered by the applicant.
- vi. The applicant is also required to submit a certificate from such group company(ies) whose revenue/ investment/ net worth is being considered, stating: name of the company, relationship with the applicant, registration no., location of registration, revenue from automotive and/or auto component manufacturing, Investment in fixed assets (gross block) and net worth as the case may be.
- vii. The total of revenue/ investment/ net worth reflected in the certificate from all such group companies should be matching with the total reported for the qualification criteria by the applicant.

3.2 Basic Eligibility Criteria (Self-certified)

For company or its Group company(ies) with existing presence in India or globally in the Automotive vehicle and components manufacturing business:

Particulars	Applicable Period	Amount (Rs. in crore)	Minimum Threshold
Global group revenue from automotive and/or auto component manufacturing (including Group Companies)	FY 2020-21		Auto OEM - Rs. 10,000 crore Auto Component - Rs. 500 crore
Global Investment in fixed assets (gross block) (including Group Companies)	As on 31/03/2021		Auto OEM - Rs. 3,000 crore Auto Component - Rs. 150 crore

For new non-automotive investor company or its Group company(ies):

Particulars	Applicable Period	Amount (Rs. in crore)	Minimum Threshold
Global Net worth (including Group Companies)	As on 31/03/2021		Rs. 1,000 crore

Annual Report of Applicant/ Holding Company and Self-Certification on Revenue/ Investment/ Net worth of the applicant (including group companies) to be uploaded in Document Uploads section.
Please enter zero for criteria not applicable to your category.

3.3 Details of Group Companies whose credentials have been considered for the purpose of Eligibility

Company Name	Registered at (Address)	Registration No.	Relationship with Applicant	FY 2020-21 (Rs. in crore)	As on 31/03/2021 (Rs. in crore)	As on 31/03/2021 (Rs. in crore)
				Revenue from automotive and/or auto component manufacturing (For Existing Automotive)	Investment in fixed assets (gross block) (For Existing Automotive Manufacturing Company)	Net worth (For New Non-Automotive Investor Company)

				Manufacturing Company)		

Self certification by each group company considered above to be uploaded in Document Uploads section.

3.4 Remarks/ Comments, if any, for Section 3 of the Application Form

Remarks/ Comments

(All fields are mandatory)

4.1 Financial Details of Applicant

Instructions:

- i. The total revenue from operations should be matching with the revenue appearing in the P&L statement of the audited financial statements/ annual report.
- ii. Revenue from Eligible Products should be disclosed only to the extent of revenue from goods manufactured in India.
- iii. Eligible Products: List of Advanced Automotive Technology (AAT) products (Vehicles and Components) as per the clause 15 of the scheme guidelines.

	(Rs. in crore)		
	2018-19	2019-20	2020-21
Revenue from Manufacturing Operations			
Domestic Manufacturing Revenue			
1.) AAT Vehicles			
2.) AAT Components			
3.) Other Vehicles			
4.) Other Components			
5.) Other Goods			
Export Manufacturing Revenue			
1.) AAT Vehicles			
2.) AAT Components			
3.) Other Vehicles			
4.) Other Components			
5.) Other Goods			
Income other than above			
Total Revenue	-	-	-
Profit before Tax			
Profit after Tax			

Annual Reports for 2018-19, 2019-20 & 2020-21 to be uploaded in Document Uploads section.
Similar Financial details for subsidiary(ies) to be uploaded in Document Uploads section.

4.2 Remarks/ Comments, if any, for Section 4 of the Application Form

Remarks/ Comments

(All fields are mandatory)

5.1 Baseline Data for Eligible Sales/ Net Sales for FY 2019-20

Instructions: i. The applicant should submit a certificate, attested by an authorized signatory, mentioning Eligible Sales Value (ESV) for Financial Year 2019-20.

ii. Upload Relevant document in 'Document Uploads' section.

iii. The Baseline ESV for an applicant company shall include the ESV of Eligible products in India in the base year for the applicant company as well as any subsidiary company(ies) in India considered for claiming incentive jointly with applicant.

iv. Net Sales means Gross Sales net of credit notes (raised for any purpose), returns, allowances, discounts (including but not limited to cash, volume, turnover, target or for any other purpose), taxes applicable.

5.2 List of AAT Vehicle Products for which applicant is applying under the scheme

Product	Yes/ No	Product	Yes/ No
2W BEV - L1		Tractor BEV - A7	
2W BEV - L2			
3W BEV - L5M		Military use BEV	
3W BEV - L5N			
Quadricycle BEV - L7M		Other BEV	
Quadricycle BEV - L7N			
PV BEV - M1		Hydrogen Fuel Cell - PV - M1	
PV BEV - M2		Hydrogen Fuel Cell - PV - M2	
CV BEV - N1		Hydrogen Fuel Cell - CV - N1	
CV BEV - N2		Hydrogen Fuel Cell - CV - N2	
CV BEV - N3		Hydrogen Fuel Cell - CV - N3	
CV BEV - M3		Hydrogen Fuel Cell - CV - M3	

5.3 Baseline Eligible Sales Value (ESV) for Champion OEM Scheme for FY 2019-20

Particulars	Installed Annual Capacity as on 31/03/2020	Quantity	Domestic Net Sales	Export Net Sales	Total Net Sales
AAT Vehicles	(nos.)	(nos.)	(Rs. in crore)	(Rs. in crore)	(Rs. in crore)
Applicant					
2W BEV - L1					-
2W BEV - L2					-
3W BEV - L5M					-
3W BEV - L5N					-
Quadricycle BEV - L7M					-
Quadricycle BEV - L7N					-
PV BEV - M1					-

PV BEV - M2					-
CV BEV - N1					-
CV BEV - N2					-
CV BEV - N3					-
CV BEV - M3					-
Tractor BEV - A7					-
Military use BEV					-
Other BEV					-
Hydrogen Fuel Cell - PV - M1					-
Hydrogen Fuel Cell - PV - M2					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N1					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N2					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N3					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - M3					-
Sub-Total for Applicant			-	-	-
Subsidiary(ies) in India					
2W BEV - L1					-
2W BEV - L2					-
3W BEV - L5M					-
3W BEV - L5N					-
Quadricycle BEV - L7M					-
Quadricycle BEV - L7N					-
PV BEV - M1					-
PV BEV - M2					-
CV BEV - N1					-
CV BEV - N2					-
CV BEV - N3					-
CV BEV - M3					-
Tractor BEV - A7					-
Military use BEV					-
Other BEV					-
Hydrogen Fuel Cell - PV - M1					-
Hydrogen Fuel Cell - PV - M2					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N1					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N2					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N3					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - M3					-
Sub-Total for Subsidiary(ies)			-	-	-
Total			-	-	-

Self certification on Baseline eligible sales value to be uploaded in Document Uploads section.

5.4 List of AAT Components for which applicant is applying under the scheme

Product ID	Product Name	Add

5.5 Baseline Eligible Sales Value (ESV) for Component Champion scheme for FY 2019-20

Particulars	Installed Annual Capacity as on 31/03/2020	Quantity	Domestic Net Sales	Export Net Sales	Total Net Sales
AAT Components	(with unit)	(with unit)	(Rs. in crore)	(Rs. in crore)	(Rs. in crore)
Applicant					
Product 1					-
Product 2					-
Product 3					-
Product 4					-
Product 5					-
Sub-Total for Applicant					
Subsidiary(ies) in India					
Product 1					-
Product 2					-
Product 3					-
Product 4					-
Product 5					-
Sub-Total for Subsidiary(ies)			-	-	-
Total for Eligible Products					

Self certification on Baseline eligible sales value to be uploaded in Document Uploads section.

5.6 Remarks/ Comments, if any, for Section 5 of the Application Form

Remarks/ Comments

(All fields are mandatory)

6.1 Data for Eligible Sales/ Net Sales for FY 2020-21

Instructions: i. Net Sales means Gross Sales net of credit notes (raised for any purpose), returns, allowances, discounts (including but not limited to cash, volume, turnover, target or for any other purpose), taxes applicable.

6.2 Eligible Sales Value (ESV) for Champion OEM Scheme for FY 2020-21

Particulars	Installed Annual Capacity as on 31/03/2021	Quantity	Domestic Net Sales	Export Net Sales	Total Net Sales
AAT Vehicles	(nos.)	(nos.)	(Rs. in crore)	(Rs. in crore)	(Rs. in crore)
Applicant					
2W BEV - L1					-
2W BEV - L2					-
3W BEV - L5M					-
3W BEV - L5N					-
Quadricycle BEV - L7M					-
Quadricycle BEV - L7N					-
PV BEV - M1					-
PV BEV - M2					-
CV BEV - N1					-
CV BEV - N2					-
CV BEV - N3					-
CV BEV - M3					-
Tractor BEV - A7					-
Military use BEV					-
Other BEV					-
Hydrogen Fuel Cell - PV - M1					-
Hydrogen Fuel Cell - PV - M2					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N1					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N2					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N3					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - M3					-
Sub-Total for Applicant			-	-	-
Subsidiary(ies) in India					
2W BEV - L1					-
2W BEV - L2					-
3W BEV - L5M					-
3W BEV - L5N					-
Quadricycle BEV - L7M					-
Quadricycle BEV - L7N					-

PV BEV - M1					-
PV BEV - M2					-
CV BEV - N1					-
CV BEV - N2					-
CV BEV - N3					-
CV BEV - M3					-
Tractor BEV - A7					-
Military use BEV					-
Other BEV					-
Hydrogen Fuel Cell - PV - M1					-
Hydrogen Fuel Cell - PV - M2					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N1					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N2					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - N3					-
Hydrogen Fuel Cell - CV - M3					-
Sub-Total for Applicant			-	-	-
Total			-	-	-

6.3 Eligible Sales Value (ESV) for Component Champion scheme for FY 2020-21

Particulars	Installed Annual Capacity as on 31/03/2021	Quantity	Domestic Net Sales	Export Net Sales	Total Net Sales
AAT Components	(with unit)	(with unit)	(Rs. in crore)	(Rs. in crore)	(Rs. in crore)
Applicant					
Product 1					-
Product 2					-
Product 3					-
Product 4					-
Product 5					-
Subsidiary(ies) in India					
Product 1					-
Product 2					-
Product 3					-
Product 4					-
Product 5					-
Total			-	-	-
Total for Eligible Products					

6.4 Remarks/ Comments, if any, for Section 6 of the Application Form

Remarks/ Comments

--

(All fields are mandatory)

7.1 Committed Cumulative Domestic Investment (including subsidiary(ies))

Instructions: i. Committed Cumulative Domestic Investment to be given for FY 2021-22 onwards, not to include value on or before 31/03/2021.

ii. If applicant is proposing to invest Rs. 50 crore in FY 2021-22 and Rs. 100 crore in FY 2022-23, cumulative investment to be shown as Rs. 50 crore in FY 2021-22 and Rs. 150 crore in FY 2022-23.

(Rs. in crore)

Committed Cumulative Domestic Investment	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2026-27
Champion OEM Scheme						
Component Champion Scheme						

Project Report/ Business Plan (incl. for Subsidiary(ies)) to be uploaded in Document Upload Section.

7.2 Forecasted Eligible Sales (including subsidiary(ies))

Instructions: The applicant will have to meet the 10% Year on Year growth criteria from the minimum threshold of Rs. 125 crore (Champion OEM scheme) & Rs. 25 crore (Component champion scheme) fixed for Determined sales from the first year.

Eligible Product: Goods manufactured in India and covered under the List of Advanced Automotive Technology (AAT) products (Vehicles and Components) as per the clause 15 of the scheme guidelines.

(Rs. in crore)

Eligible Sales Value	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2026-27
Eligible Products - Champion OEM Scheme						
Domestic Net Sales						
Export Net Sales						
Eligible Products - Component Champion Scheme						
Domestic Net Sales						
Export Net Sales						

Determined Sales Value (Auto-populated)	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2026-27
Eligible Products - Champion OEM Scheme						
Domestic Net Sales						
Export Net Sales						
Eligible Products - Component Champion Scheme						
Domestic Net Sales						
Export Net Sales						

7.3 Proposed Plan for Employment Generation in India (next 6 years)

Instructions: i. Cumulative employment to be given from 01/04/2021 onwards, not to include value on or before 31/03/2021.

ii. If applicant is proposing to add 1000 employees in FY 2021-22 and 1500 employees in FY 2022-23, cumulative employment to be shown as 1000 in FY 2021-22 and 2500 in FY 2022-23.

Cumulative Employment	(numbers)					
	FY 2021-22	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2026-27
On-roll labour/ employees						
Contractual						
Apprentice						
Total Cumulative Employment	-	-	-	-	-	-

7.4 Remarks/ Comments, if any, for Section 7 of the Application Form**Remarks/ Comments**

--

(All fields are mandatory)

8.1 Bank Details

Account Name	IFCI-PMA-PLI-AUTO
Account No.	5161512781
Name of the Bank	Central Bank Of India
Branch Code	1410
Branch IFSC Code	CBIN0281410
Branch Name	Nehru Place Branch
Branch Address	59, Shakuntala Building, Nehru Place , New Delhi-110019

8.2 Application Fee (Non-refundable) Payment Details

Payment Date	Unique Reference No.	Bank Name	Amount (Rs.)
			[Drop down] Rs. 100,000 for Champion OEM Scheme Rs. 25,000 for Component Champion Scheme Rs. 125,000 for Both Schemes



Application Fee Payment Proof to be uploaded in Documents Upload section




(All fields are mandatory)



9.1 Document Uploads

Instructions: i. Please provide self-certified copies unless mentioned otherwise.

ii. Please do not attach any documents to this excel sheet. Documents should be uploaded on the portal - pliauto.in

Sec#	Document Name	Template	Uploaded	Remarks
1.1	Certificate of Incorporation (Issued by ROC)		<input type="checkbox"/>	
1.1	Memorandum & Articles of Association (Submitted to ROC)		<input type="checkbox"/>	
1.1	PAN Card		<input type="checkbox"/>	
1.2	Import Export Code (IEC) Registration Certificate		<input type="checkbox"/>	
2.2	Letter of Authorization by Board of Directors or Managing Director or Equivalent (incl. subsidiary(ies))		<input type="checkbox"/>	
2.4	Certificate from Company Secretary of the Applicant / Managing Director for Credit History (incl. subsidiary(ies))		<input type="checkbox"/>	
2.4	CIBIL Report of the Company (incl. subsidiary(ies))		<input type="checkbox"/>	
2.5	Business Profile/ Corporate Presentation of the Applicant (incl. subsidiary(ies))		<input type="checkbox"/>	
2.6	GST Registration Certificate (incl. subsidiary(ies))		<input type="checkbox"/>	
2.7	Shareholding Pattern (Latest submitted with ROC and certified by Company Secretary of the company or in case applicant is not having any 'Company Secretary' - by the Managing Director) (incl. subsidiary(ies))		<input type="checkbox"/>	
2.8	Profile of Directors		<input type="checkbox"/>	
3.2	Self-Certification on: > EAMC - Global group revenue from automotive and/or auto component manufacturing and Global Investment in fixed assets (gross block), > NNIC - Global net worth		<input type="checkbox"/>	

	Including break-up details especially for major/ indian entities. Major products considered shall also be mentioned.			
3.2	Annual Report of Holding Company		<input type="checkbox"/>	
3.3	Self-Certification on Revenue/ Investment/ Net worth from each of the Group Company (ies) whose credentials have been considered		<input type="checkbox"/>	
4.1	Annual Report of Applicant for 2018-19		<input type="checkbox"/>	
4.1	Annual Report of Applicant for 2019-20		<input type="checkbox"/>	
4.1	Annual Report of Applicant for 2020-21		<input type="checkbox"/>	
4.1	Financial Details of Subsidiary(ies)	 Financial Details-Subsidiary	<input type="checkbox"/>	
4.1	Annual Report of Subsidiary(ies) for 2018-19		<input type="checkbox"/>	
4.1	Annual Report of Subsidiary(ies) for 2019-20		<input type="checkbox"/>	
4.1	Annual Report of Subsidiary(ies) for 2020-21		<input type="checkbox"/>	
5.3 & 5.5	Self Certificate mentioning Baseline Eligible Sales Value of Eligible products covered under the List of Advanced automative technology products (Vehicles and Components) as per the clause 15 of the scheme guidelines - for Financial Year 2019-20 -for applicant & subsidiary(ies)		<input type="checkbox"/>	
7.1	Project Report/ Business Plan (incl. for Subsidiary(ies))	 Business Plan	<input type="checkbox"/>	
8.2	Application Fee Payment Proof		<input type="checkbox"/>	
	Regulatory Treatment a. Provide information on Licenses, permits and third-party approvals necessary to execute the project as per format attached here with b. Proposed process and timelines for obtaining clearances	 License details	<input type="checkbox"/>	

	Undertaking for consent of audit/ verification (incl. Subsidiary(ies))		<input type="checkbox"/>	
	Integrity Undertaking (Format A)		<input type="checkbox"/>	

(All fields are mandatory)

10.1 Declaration	
<p>The data, documents, declaration and any other information submitted in this application form is based on the latest information available with the Applicant company and true and correct to the best of my knowledge and belief. I have read and understood the provisions of the Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Automobile and Auto components industry (PLI-Auto) as notified vide notification no. CG-DL-E-23092021-229899 dated 23/09/2021 and relevant guidelines including FAQs thereto and have submitted all information, data, documents and declaration in accordance with the same. Any decision taken by Ministry of Heavy Industries (MHI) with respect to acceptance of this application, eligibility under the Scheme, and any other related matter will be final and binding on the Applicant company.</p>	
<input type="checkbox"/>	I understand the terms & conditions
Date:	Auth. Signatory Designation

ANNEXURE-II

List of Advanced Automotive Technology Vehicles eligible for PLI Scheme for Automobile and Auto Components		
S.No.	Name of Advanced Automotive Technology Vehicles	Definition (As defined in Central Motor Vehicle Rules (CMVR), 1989, as amended from time to time)
1	Battery Electric Two Wheeler	L1
		L2
	Battery Electric Three Wheeler	L5M
		L5N
	Battery Electric Quadricycle	L7M
		L7N
		M1
		M2
Battery Electric Four Wheeler (e-4W)	N1	

		N2
		N3
	Battery Electric Four Wheeler (e-Buses)	M3
	Battery Electric Agricultural Tractor	A7
2	Hydrogen Fuel Cell Four Wheeler (4W)	M1
		M2
		N1
		N2
		N3
	Hydrogen Fuel Cell Four Wheeler (Buses)	M3
Note : For Performance Criteria of Battery Electric Vehicles, kindly refer FAME India Scheme Phase -II available at website : https://fame2.heavyindustry.gov.in		

ANNEXURE-II

List of Advanced Automotive Technology Components eligible for PLI Scheme for Automobile and Auto Components

S.No.	Application	Name of Advanced Automotive Technology Products for PLI Automobile and Auto Components	Definition#	Category
1	Hydrogen Fuel Cell Vehicle systems	1.Fuel cell	Hydrogen Fuel cell for automobiles.	Hydrogen Fuel Cell Vehicle
		2. Fuel cell stack	Stack of Hydrogen Fuel cells for automobiles.	
		3.Hydrogen recirculation blower	It ensures optimum recirculation of hydrogen within the fuel cell in automobiles.	
		4. Hydrogen Injection system	It feeds optimized quantity of hydrogen for the stack in a fuel cell system in automobiles.	
		5. Hydrogen Pressure Sensors	Automotive component used to measure pressure in hydrogen fuel cell vehicles.	
		6. Hydrogen Temperature Sensors	Automotive component used to measure temperature in hydrogen fuel cell vehicles.	
		7. Safety valves (above 350 bars)	Automotive component used in hydrogen fuel cell vehicles.	
		8. Fuel Cell System Controller	Central control unit for operation of Fuel Cell System	
		9. Fuel Cell Cooling system	Mechanism for waste heat transfer in a fuel cell system and to maintain optimum working temperature.	
		10.Type-3 Carbon Fibre Cylinders for Hydrogen Fuel Cell (as approved by authorized Government agency under Gas Cylinder Rules, 2016 as amended from time to Time)	Light weight cylinders for storing high pressure Hydrogen (350 bars and above)in automobiles.	
		11.Type-4 Carbon	Light weight cylinders for storing high	

		Fibre Cylinders for Hydrogen Fuel Cell Vehicle (as approved by authorized Government agency under Gas Cylinder Rules, 2016 as amended from time to Time)	pressure Hydrogen (350 bars and above)in automobiles.	
		12. Fuel lines for Hydrogen Fuel Cell Vehicle	Completely gas-tight lines/pipes/fittings for hydrogen circulation in fuel cell system for 350 bars and above.	
		13. High Pressure Pipes for Hydrogen Fuel Cell Vehicle	Completely gas-tight lines/pipes/fittings for hydrogen circulation in fuel cell system for 350 bars and above.	
		14. High Pressure Fittings for Hydrogen Fuel Cell Vehicle	Completely gas-tight lines/pipes/fittings for hydrogen circulation in fuel cell system for 350 bars and above.	
		15. Receptacle for Hydrogen Fuel Cell Vehicle	Specific inlet designed for filling hydrogen in vehicles (350 bars and above) as per AIS 157/ ISO 17260 standard.	
		16. DC-DC convertor for Hydrogen Fuel Cell Vehicle	Used for Hydrogen Fuel Cell vehicles	
		17. High Voltage connectors for Hydrogen Fuel Cell Vehicle	Used for Hydrogen Fuel Cell vehicles	
		18.High Voltage harness for Hydrogen Fuel Cell Vehicle	Used for Hydrogen Fuel Cell vehicles	
		19 Power Distribution unit for Hydrogen Fuel Cell Vehicle	Used for distributon of high voltage connections in Hydrogen Fuel Cell vehicles.	
		20. Electric compressor (Air & refrigerant) for Hydrogen Fuel Cell Vehicle	Used for air conditioning application in Hydrogen Fuel Cell vehicles.	
2	xEVs - Traction	1.Traction motor	Electric motors used for traction application in automobiles.	xEV
		2. Wheel rim integrated with Hub Motor	Electric motors integrated with wheel used for traction application in automobiles.	
		3. Traction motor controllers (including inverter assembly with convertor)	Electronic control unit to drive traction motor in automobiles.	
		4.Vehicle Control Unit (VCU) -(Processor minimum 32 bit)	Electronic sub assembly used to control xEV operations.	
3	xEVs - Energy Storage	1. Battery Management System (Processor minimum 32 bit)	Electronic sub assembly used to control and optimise battery performance in automobiles.	xEV
			High performance capacitors used for	

		2. Super capacitors	Energy storage in automobiles.	
4	xEVs - Transmission	1. Trans-axle for Electrified Vehicle	It is a sub assembly of power train of xEV vehicles without traction motor.	xEV
		2. E-axle	It is a sub assembly of power train of Battery Electric vehicles.	
		3. E-differential assembly	It is a form of differntial which provides the required torque for each driving wheel and allows different wheel speeds.	
5	xEVs - Power Management	1. High Voltage harness	Used for xEV Vehicles	xEV
		2. High Voltage connectors	Used for xEV Vehicles	
		3. Charging inlet connectors	Connector fitted on vehicles for charging xEV Vehicles	
		4. Power Distribution unit	Used for distributon of high voltage connections in xEV Vehicles.	
		5.DC-DC convertors	Used for xEV vehicles	
		6. On-board chargers/ Portable Charger	Vehicle mounted charger used for charging xEVs and supplied along with each xEV Vehicle	
6	xEVs - Material	1. Rare earth magnets for motors	Rare earth magnets used for motors.	xEV
7	xEVs - Braking	1.ElectricVaccum Pump Unit.	Electric driven vaccum pump used for braking applications in xEVs.	xEV
8	xEVs - HVAC	1. Electric compressor (Air & refrigerant)	Used for air conditioning application in xEV Vehicles.	xEV
9	Advance Driver Assist System (ADAS)	1.Forward Collision Warning (FCW) systems	System capable of warning the driver with potential collision with another forward vehicle in the forward path of the subject vehicle.	Safety
		2. Advance Emergency Braking Systems (AEBS)	"Advanced Emergency Braking System (AEBS)" means a system which can automatically detect a potential forward collision and activate the vehicle braking system to decelerate the vehicle with the purpose of avoiding or mitigating a collision.	
		3. Lane Departure Warning Systems (LDWS)	Lane departure warning system (LDWS) is a mechanism designed to warn the driver when the vehicle begins to move out of its lane;	
		4. Automated lane keeping system (ALKS)	"Automated Lane Keeping System (ALKS)" is a system which is activated by the driver and which keeps the vehicle within its lane by controlling the lateral and longitudinal movements of the vehicle for extended periods without the need for further driver input.	
		5. RADAR for automobiles	Radar (Radio Detection and Ranging) is a detection system that uses radio waves to determine the distance (range), angle, or velocity of objects;	
		6. Light Detection and	LIDAR is a method for determining ranges (variable distance) by targeting an object with a laser and measuring the	

		ranging (LIDAR) for automobiles	time for the reflected light to return to the receiver;	
		7. Cameras for ADAS (360 deg.)	Camera used to capture 360 deg view in automobiles.	
		8. Blind spot detection system	It is a system that detects other vehicles / objects located to the driver's side and rear (blind spots).	
		9. Collision avoidance system	It is a safety system designed to prevent a collision or decrease its severity in automobiles.	
		10. Driver behaviour monitoring system	System that monitors driver's behaviour and warns or alerts them when they are distracted or drowsy.	
		11. Night vision systems	System that uses thermographic camera to increase driver's perception and seeing distance in darkness	
10	V2X (Connectivity)	1. Telematics (Processor minimum 32 bit)	Communication Technology for automobiles to facilitate data flow using wireless networks on 4G and above with IT enabled systems.	Connected Vehicle
		2. Dedicated Short Range Communication Device	Wireless technology used to facilitate communication of a vehicle with other vehicles and infrastructure.	
		3. Connectivity modules 5G	Modules used in automobile compatible with Fifth Generation mobile communication.	
		4. Central Gateway Device	Central communication node working on 4G and above network used in automobile to manage data flow through various types of communication buses. It helps to protect IT systems of automobile from Cyber Threats.	
		5. Touch Screen Display Unit	Touch Screen display unit having size seven inch and above and used for display and control purpose in automobile.	
11	Vehicle Exhaust After Treatment Devices for BS6 vehicles and beyond.	1. Diesel Particulate Filter (DPF) for BS VI and beyond compliant Diesel Engines	Used to trap soot particles from the Diesel engine exhaust and preventing them from reaching the environment.	Environment/ Emission
		2. Gasoline Particulate Filter (GPF) Trap for BS VI and beyond compliant gasoline engines.	Used to control particulate emission from Gasoline engines.	
		3. Selective Catalytic Reduction (SCR) Device for DeNOX, BS VI and beyond compliant in Diesel Engine	SCR is an exhaust after treatment device to reduce NOx.	
		4. Urea Dosing and supply Module for BS VI and beyond compliant in Diesel Engine	Automotive system that spreads aqueous urea solution into the exhaust stream leading to NOx reduction.	
		5. Lean Nox Trap (LNT) for BS VI and beyond compliant in	Automotive system that is used to reduce oxides of Nitrogen from a lean burn used in Diesel Engine by means of adsorption.	

		Diesel Engine		
12	Gasoline Direct Injection (GDI)	1. Fuel Pump for Gasoline Direct Injection (GDI) with operating range of 200 bar and above	Used to pressurize the fuel that comes in from the fuel tank before sending it to the fuel rail.	Environment/ Emission
		2. Injector for Gasoline Direct Injection (GDI) assembled in fuel rail with operating range of 200 bar and above	Used to inject fuel very rapidly and at high pressure for optimum mixture formation directly in the combustion chamber GDI engine.	
		3. Electronic Control Unit (ECU) for Gasoline Direct Injection (GDI) (Processor minimum 32 bit)	Auto electronic sub assembly used to optimize engine performance in GDI engine.	
13	Airbag System	1. Inflator for Airbags in automobiles	A device that activates upon receiving signal from collision sensors in the vehicle and inflates the airbag	Safety
		2. Airbag Electronic Control Unit (ECU) in automobiles	Central control unit for activation of Air bag system in a vehicle	
		3. Sensor for airbag in automobiles	Sensors used in airbag system of a vehicle.	
14	On-board Vehicle diagnostic system	On-board Vehicle diagnostic system for BS VI and above	On Board Diagnostics (OBD) is a computer system inside a vehicle that tracks and regulates vehicle performance and helps in fault diagnosis in BS VI and above compliant vehicles.	Environment/ Emission
15	ECUs (Electronic Control Unit) for safety	1. Electronic Stability Program (ESP) (Processor minimum 32 bit)	Used for traction control and stability in automobiles.	Safety
		2. Steering Control (Processor minimum 32 bit)	Used for Steering control in automobiles.	
		3. Park Assistance (Processor minimum 32 bit)	Used for automatic parking assistance in automobiles.	
		4. Hill Assist ECU (Processor minimum 32 bit)	Used to assist the vehicle movement on hills and steep gradients.	
		5. Electronic Brakeforce Distribution (EBD) System (Processor minimum 32 bit)	Used for optimization of braking force in automobiles.	
16	ECUs (Electronic Control Unit) for Powertrain	1. Engine Management System (EMS) (Processor minimum 32 bit)	Auto electronic sub assembly used to optimize engine performance.	Environment/ Emission
17	ECUs (Electronic Control Unit) for comfort system	1. Body control module (Processor minimum 32 bit)	Auto electronic sub assembly used to control body and chassis functions.	Convenience
		2. Keyless solutions (Processor minimum 32 bit)	Auto electronic sub assembly used for access control.	
		3. Infotainment ECU	Auto electronic sub assembly used for Infotainment System.	

		4. Immobilizer ECU	Auto electronic sub assembly used for immobilizing vehicle.	
18	Transmission	1. Continuously Variable Transmission (CVT)	Continuously Variable Transmission (CVT) used in automobiles	Convenience
		2. Dual Clutch Transmission (DCT)	Dual Clutch Transmission (DCT) used in automobiles	
		3. Automatic Transmission (AT)	Automatic Transmission (AT) used in automobiles	
		4. Electric differential Lock.	Used for traction application in automobiles	
19	Alternate fuel systems - CNG	1. CNG Type 3 storage cylinders (minimum 200 bar), (as approved by authorized Government agency under Gas Cylinder Rules, 2016 as amended from time to time)	Light weight cylinders for storing high pressure CNG (200 bars and above) in automobiles.	Emission/ Environment
		2. Pressure Regulator for CNG	Used to depressurizes and adjusts pressure supplied by CNG fuel tank in automobile.	
		3. Electronic Control Unit (ECU) for CNG (Processor minimum 32 bit)	Master control unit for to optimise performance of CNG fuelled engine.	
20	Alternate fuel systems - LNG	1. LNG Cryogenic Cylinders (as approved by authorized Government agency under Gas Cylinder Rules, 2018 as amended from time to time)	Light weight Cryogenic cylinders for storing LNG in automobiles.	Emission/ Environment
		2. Pressure Regulator for LNG	Used to depressurizes and adjusts pressure supplied by LNG fuel tank in automobile.	
		3. Electronic Control Unit (ECU) for LNG (Processor minimum 32 bit)	Master control unit for to optimise performance of LNG fuelled engine.	
21	Alternate fuel systems - Bio Fuel	1. BS6 compliant Flex Fuel Engine capable of running upto Ethanol 85 (E85) fuel	The BS6 flex fuel engines capable of running upto Ethanol 85 (E85) in automobiles.	Emission/ Environment
		2. Heated Fuel Rail for Flex Fuel Engine.	Used to supply heated fuel from fuel-supply system to the fuel injectors in Flex Fuel Engine.	
		3. Heating Element for Flex Fuel Engine	Used to emit heat to the fuel in the fuel rail and designed to operate at high surface temperatures in contact with flex fuel (upto E85) in Flex Fuel Engine.	
		4. Heating Control Unit for Flex Fuel Engine	It controls the heating of the fuel and monitors to ensure guaranteed start of the engine at low temperatures. It is a cold start feature in Flex Fuel Engine.	

		5. Electronic Control Unit (ECU) for Flex Fuel Engine (Processor minimum 32 bit).	Auto electronic sub assembly used to optimize Flex Fuel Engine performance.	
22	Sensors	1. Crash Detection Sensor	Used for crash impact detection in automobiles.	Others
		2. Angle Encoder	Used for precise angle measurement in automotive systems like -Traction Motor ; Steering control etc	
		3. Torque Sensor	Used for precise torque measurement in automotive systems like -Traction Motor ; Steering control etc	
		4. Image Sensor	Used in ADAS application in automobiles	
		5. Lambda / oxygen Sensor for BS VI and above	Used for measurement of oxygen level in automobiles	
		6. NOx Sensor for BS VI and above	Used for measurement of NOx level in automobiles	
		7. PM Sensor for BS VI and above	Used for measurement of PM level in automobiles	
		8. Ethanol sensor	Sensors used in flex fuel vehicles.	
23	Advanced glazing solutions	1. Dark green UV Cut Glass (DGG) upto 3.2 mm	Side Safety glass of automobile with advanced features of Infra Red Cut (Tir) of minimum 71% and Ultra Violet Cut (Tuv) of minimum 81%	Emission/ Environment
		2. IR Cut Windshield (PVB+ Glass).	Wind Screen Safety glass of automobile with advanced features of Infra Red Cut (Tir) minimum 77% and Ultra Violet Cut (Tuv) of >99%	
24	Common Rail Direct Injection (CRDI)	1. Pump for CRDI with operating 1800 bar and above	Used to deliver fuel into the connected rail above 1800 bar.	Emission/ Environment
		2. Electronic Control Unit (ECU) for Common Rail Direct Injection (CRDI) system (Processor minimum 32 bit)	Auto electronic sub assembly used to optimize CRDI engine performance.	
# Basic qualification criteria for any AAT Product for this scheme is supply chain non-existent/ immature in India. Detailed definition or any Technical clarification on AAT Products will be provided/clarified by Testing Agency of MHI.				